रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 24, 2013/आश्विन 2, 1935
No. 214] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 24, 2013/ASVINA 2, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2013

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : कोरिया आर.पी और थाइलैंड मूल के अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।

सं. 15/16/2013-डीजीएडी.—यत:, समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) और सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने यूएसए, थाईलैंड और कोरिया आरपी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों के बारे में मूल पाटनरोधी जांच की शुरूआत दिनांक 13.09.1996 को की थी और दिनांक 14.10.1997 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 47/एडीडी/1

(1)

डब्ल्यू के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया था। यूएसए, कोरिया आरपी और थाइलैंड के खिलाफ इस तरह अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा प्राधिकारी ने दिनांक 07.08.2001 की अधिसूचना संख्या 26/1/2001-डीजीएडी के तहत प्रारंभ की थी और अंतिम जांच परिणाम दिनांक 06.08.2002 की अधिसूचना संख्या 26/1/2001-डीजीएडी के तहत जारी किए थे। केंद्रीय सरकार द्वारा यूएसए, थाईलैंड और कोरिया आरपी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का उदग्रहण दिनांक 09.10.2002 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 106/2002-सीमाशुल्क के तहत किया गया था। थाईलैंड और कोरिया आरपी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की प्राधिकारी द्वारा द्वितीय निर्णायक समीक्षा दिनांक 08.10.2007 की अधिसूचना संख्या 10/7/2006-डीजीएडी के तहत प्रारंभ की गई थी और प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता की सिफारिश करते हुए अंतिम जांच परिणाम दिनांक 03.10.2008 की अधिसूचना संख्या 10/7/2006-डीजीएडी के तहत जारी किए गए थे। केंद्रीय सरकार ने थाईलैंड और कोरिया आरपी से आयातित संबद्ध वस्तु पर दिनांक 20.11.2008 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 123/2008-सीमाशुल्क के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया था।

समीक्षा के लिए अनुरोध

2. यत:, सीमाशुल्क प्रशुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1995 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि उसका पहले प्रतिसंहरण नहीं कर दिया जाता है, ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्षों की अवधि समाप्त हो जाने पर, प्रभावी होना समाप्त हो जाएगा।

3. और, उपर्युक्त प्रावधान होने के बाबजूद भी, प्राधिकारी को, ऐसे शुल्क की समाप्ति की तारीख से पहले किसी औचित्यपूर्ण अवधि के अंदर घरेलू उद्योग द्वारा अथवा घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर, इस तथ्य की समीक्षा करना अपेक्षित होता है कि क्या इस शुल्क की समाप्ति कर देने से पाटन और क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

4. और, यत:, उपर्युक्त प्रावधानों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले मैसर्स इंडियन एक्रिलिकस लिमिटेड, मैसर्स वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड और मैसर्स पशुपति एक्रिलान लिमिटेड (जिन्हें एतद्पश्चात आवेदनकर्ता कहा गया है) ने एक विधिवत साक्ष्यांकित आवेदनपत्र के साथ प्राधिकारी से, थाईलैंड और कोरिया आरपी (जिन्हें एतद्पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर के आयातों पर विगत में अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा का अनुरोध करते हुए तथा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता की मांग करते हुए, निवेदन किया। यह अनुरोध इस आधार पर आधारित है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने के बाबजूद पाटन की निरंतरता बनी हुई है और घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटन के परिणामस्वरूप निरंतर क्षति सहन करनी पड़ रही है क्योंकि प्रभावी पाटनरोधी शुल्क का स्वरूप और उसकी प्रमात्रा अपर्याप्त है। आवेदनकर्ताओं ने इसके आगे यह तर्क दिया है कि संबद्ध देशों के खिलाफ इस साधन को समाप्त कर दिए जाने के परिणामस्वरूप ऐसी संभावना है कि घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति की निरन्तरता बनी रहेगी अथवा उसकी पुनरावृत्ति भी हो सकती है।

5. और, प्राधिकारी, आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रदान कराए गए प्रथम-दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर, यह विचार करते हैं कि, संबद्ध देशों से पाटन को दूर करने के लिए ऐसे शुल्क की निरंतरता की जरूरत के लिए और यह जांच करने के लिए कि क्या पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने अथवा उसमें परिवर्तन करने अथवा दोनों की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करने की कार्रवाई शुरू करना उपयुक्त होगा।

घरेलू उद्योग का आधार

6. यह आवेदनपत्र संबद्ध वस्तु के घरेलू उद्योग उत्पादकों की ओर से मैसर्स इंडियन एक्रिलिक्स लिमिटेड, मैसर्स वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड और मैसर्स पशुपति एक्रिलान लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। रिकार्ड में उपलब्ध जानकारी के अनुसार आवेदनकर्ताओं का संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन में एक बहुत बड़ा अनुपात बनता है और इसलिए, वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग बनते हैं और इस याचिका में नियम 5 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों में उल्लिखित शर्तों में आधार की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है।

जांच शुरूआत

7. समीक्षा करने की जरूरत को प्रमाणित करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्टया सकारात्मक साक्ष्यों के आधार पर स्वयं संतुष्ट होकर प्राधिकारी, प्रभावी पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण की निरंतरता के लिए जरूरत की समीक्षा करने और यह जांच करने के लिए कि क्या इस शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, एतद्द्वारा, निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ करते हैं।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

8. वर्तमान समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद एक्रिलिक फाइबर है। एक्रिलिक फाइबर सिंथेटिक पालीमर की एक लंबी श्रृंखला होती है जिसमें कम से कम 90 प्रतिशत वजन एक्रिलोनाइट्राइल का होता है। एक्रिलिक फाइबर का उत्पादन करने के लिए एक्रिलोनाइट्राइल एक प्रमुख कच्चा माल होता है। इसे व्यापक तौर पर फाइबर के रंग, लंबाई या सूत्रैक के रूप में चित्रित किया जाता है। इसका उपयोग वस्त्रों, घरेलू मदों के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जाता है और इसका बड़ा औद्योगिक उपयोग है। इसे सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 55 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आवेदनकर्ताओं ने यह प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा संबद्ध देशों से भारत को आयातित संबद्ध वस्तु, पाटनरोधी नियमावली के आशय के अंतर्गत समान वस्तुएं हैं, और यह कि संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु तथा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है; यह कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु अनिवार्य उत्पाद गुणधर्मों, जैसे भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तु के प्रशुल्क वर्गीकरण, के रूप में तुलनीय हैं; यह कि उपभोक्तागण इन दोनों वस्तुओं का प्रयोग अदल-बदलकर कर सकते हैं और कर रहे हैं तथा दोनों वस्तुएं तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। जांच के पश्चात, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु दोनों ही समान मदें हैं।

9. यह जांच यह निर्धारित करेगी कि क्या इस शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने की अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। प्राधिकारी यह जांच करेंगे कि क्या पाटन को दूर करने के लिए शुल्क के अधिरोपण की निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है और यदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है अथवा उसमें कोई परिवर्तन किया जाता है अथवा दोनों कर दिए जाते हैं तो क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

(i) यह समीक्षा दिनांक 03.10.2008 की अधिसूचना संख्या 10/7/2006-डीजीएडी के सभी पहलुओं को कवर करेगी।

(ii) इस समीक्षा जांच में अंतर्ग्रस्त देश थाईलैंड और कोरिया आरपी है।

(iii) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 है और क्षति विश्लेषण के लिए विगत तीन वर्षों अर्थात 2009-10, 2010-11, 2011-12 और जांच की प्रस्तावित अवधि के आंकड़ों पर विचार किया जाएगा।

(iv) नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस समीक्षा में लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

10. संबद्ध देशों में निर्यातकों, संबद्ध देश की सरकार को भारत स्थित उनके राजदूतावास के जरिए और भारत में इस उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों और उनके प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित स्वरूप और ढंग से संगत जानकारी प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से अधोलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से संबोधित किया जा रहा है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी,
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य विभाग,
कमरा नं. 240, उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110011

11. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित स्वरूप एवं ढंग से जांच से संगत निवेदन कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुततिकरण करने वाले प्रत्येक पक्षकार को उसका अन्य पक्षकारों के लिए अ-गोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

समय-सीमा

12 वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना को लिखित रूप में प्रेषित किया जाना चाहिए जिससे वह प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिन (चालीस दिन) के भीतर पहुंच जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

13. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे प्रस्तुत मामले में अपने हित (हित की प्रवृत्ति सहित) के बारे में सूचित करें और अपनी-अपनी प्रश्नावलियों के प्रत्युत्तर दायर करें और घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के अंदर प्रस्तुत करें। यह सूचना हार्डकॉपी तथा साफ्ट कॉपी दोनों रूपों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

14. यदि प्रश्नावली के उत्तर/निवेदन के किसी भाग के लिए गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सेटों में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा – (क) एक सेट गोपनीय के रूप में चिन्हित (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या इत्यादि सहित) तथा (ख) दूसरा सेट अगोपनीय के रूप में चिन्हित (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या इत्यादि सहित)। प्रस्तुत की गई समस्त सूचना के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" चिन्हित होना अनिवार्य है।

15. किसी चिह्न के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी के पास अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का अवलोकन करने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार होगा। गोपनीय रूपांतर और अगोपनीय पाठ दोनों की पांच (05) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

16. अगोपनीय सूचना, गोपनीय सूचना की प्रतिकृति होना अपेक्षित है जिसके साथ गोपनीय सूचना को, उस सूचना के आधार पर जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचीबद्ध किया जाए अथवा संक्षेप में प्रस्तुत किया जाए। अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के विषय का एक युक्तिसंगत विवरण होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के विषय को समझा जा सके। फिर भी, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत करना संभव नहीं है उसे उन और कारणों का ब्यौरा कि क्यों संक्षेपण संभव नहीं है, निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि हेतु मुहैया कराना चाहिए।

17. प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता हेतु निवेदन को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस तथ्य से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता हेतु निवेदन प्राधिकृत नहीं है अथवा सूचना प्रदायक या तो सूचना सार्वजनिक करने का अनिच्छुक है या सामान्य अथवा संक्षिप्त रूप से इसके प्रकटीकरण को प्राधिकृत नहीं कर रहा है, तो वे इस तरह की सूचना का अवहेलना कर सकते हैं।

18. सार्थक अगोपनीय रूपांतर के बिना अथवा गोपनीयता की मांग के लिए उचित कारण का ब्यौरा दिए बिना किसी तरह का निवेदन निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दर्ज नहीं किया जाएगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने की स्थिति में तथा इसे स्वीकार करते हुए, इस तरह की सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना उसे किसी अन्य पक्षकार के समक्ष प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

19. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

20. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2013

(Sunset Review)

Subject : Sunset review of anti-dumping duty imposed on Acrylic Fibre originating in or exported from Korea RP and Thailand.

No. 15/16/2013- DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (herein after referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after referred to as the AD Rules), the Designated Authority (herein after referred to as the Authority), initiated the original anti-dumping investigation in respect of the imports of Acrylic Fibre (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from USA, Thailand and Korea RP on 13.9.1996 and definitive anti-dumping duty was recommended vide final findings Notification No. 47/ADD/1W dated 14.10.1997. The Sunset review of the anti-dumping duty so imposed against USA, Thailand and Korea RP was initiated by the Authority vide Notification No. 26/1/2001-DGAD dated 07.08.2001 and the final findings were issued vide Notification No. 26/1/2001-DGAD dated 06.08.2002. Definitive anti-dumping duty was levied by the Central Government on the subject goods originating in or exported from USA, Thailand and Korea RP vide Customs Notification No. 106/2002-Customs dated 09.10.2002. Second Sunset review of the anti-dumping duty imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from Thailand and Korea RP was initiated by the Authority vide Notification No. 10/7/2006-DGAD dated 08.10.2007 and the final findings were issued vide Notification No.10/7/2006-DGAD dated 03.10.2008 recommending continuation of the anti-dumping duty in force. Definitive antidumping duty was imposed by the Central Government on the subject goods from Thailand and Korea RP vide Customs Notification No. 123/2008-Customs dated 20.11.2008.

Request for Review

2. Whereas, in terms of the Customs Tariff (Amendment) Act 1995, the anti-dumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition.

3. And, notwithstanding the above provision, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantial request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. And, whereas, in terms of the above provisions, M/s Indian Acrylics Ltd., M/s Vardhman Acrylics Ltd. and M/s Pasupati Acrylon Ltd (hereinafter referred to as the applicants) representing the Domestic Industry have approached the Authority with a duly substantiated application requesting for sunset review of the anti-dumping duties earlier imposed on imports of Acrylic Fibre originating in or exported from Thailand and Korea RP (hereinafter referred to as the subject countries) and seeking the continuation of anti-dumping duty on the

imports originating in or exported from the subject countries. The request is based on the grounds that dumping has continued in spite of imposition of antidumping duty on the import of the subject goods from the subject countries and the domestic industry continues to suffer injury on account of dumping from the subject countries as the form and quantum of anti dumping duty in force has been insufficient. The applicants have further argued that expiry of the measure against the subject countries would be likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

5. And, the Authority on the basis of prime facie evidence given by the applicants considers that initiation of sunset review proceedings for the anti dumping duty in force would be appropriate to examine the need for continuation of such duty to offset dumping from the subject countries and to examine as to whether the injury to the Domestic Industry is likely to continue or recur if the duties were removed or varied or both.

Domestic industry

6. The application has been filed by M/s Indian Acrylics Ltd., M/s Vardhman Acrylics Ltd. and M/s Pasupati Acrylon Ltd on behalf of the domestic producers of the subject goods. As per information available on record, the applicants account for a major proportion in Indian production of the subject goods and, therefore, constitute the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules.

Initiation

7. Having satisfied itself on the basis of the positive prima facie evidence submitted by the domestic industry substantiating the need for a review, the Authority hereby initiates a Sunset Review in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of Antidumping Rules, to review the need for continued imposition of duties in force and whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

Product under Consideration and Like Article

8. The product under consideration in the present review investigation is Acrylic Fibre. Acrylic Fibre is a long chain of synthetic polymer composed of at least 90% by weight of Acrylonitrile, which is a major raw material for production of acrylic fibre. It is broadly described in terms of colour, length and denier of the fibre. It is used for the purpose of manufacturing apparels, household items and it has a great industrial use etc. It is classified under Chapter 55 of the Customs Tariff Act, 1975." Further the applicants submitted that subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported in to India from the subject countries are like articles within the meaning of the Anti-dumping Rules; that there is no known difference between the subject goods imported from the subject countries and that produced by the domestic industry; that the subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods; that the consumers can use and are using the two interchangeably and that the two are technically and commercially substitutable. After examination, the Authority concludes that the subject goods produced by the domestic industry are like article to that imported from the subject country.

Procedure

9. The investigation will determine as to whether the expiry of the measures would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority will examine as to whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duties were removed or varied, or both.

i). The review will cover all aspects of Notification No. 10/7/2006-DGAD dated 03.10.2008.

ii). The countries involved in this review investigation are Thailand and Korea RP.

iii). The period of investigation (POI) for the purpose of the present review is from April, 2012 to March, 2013 and for the injury analysis, data of the previous three years, viz., 2009-10, 2010-11, 2011-12 and the proposed POI will be considered.

iv). The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

10. The exporters in the subject countries, their Governments through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Room No. 240, Udyog Bhavan, New Delhi-110011

11. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

12. Any information relating to the present review should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

13. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

Submission of information on confidential basis

14. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets-(a) one marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

15. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Five (5) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.

16. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

17. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

18. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

19. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

20. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. S. DEEPAK, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.